ग्राम पंचायत कलरूही, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024
भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कलरूही, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया|

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कलरूही में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सुनीता देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री हुसन चन्द	01.04.2022 से 30.10.2023
2.	श्रीमती अनबर बीबी	01.11.2023 से 04.12.2023
3.	श्री रविंदर पाल	05.12.2023 से 31.03.2024

(ख़) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कलरूही, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष	26.93
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.57
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.05
4)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली करना	0.05
5)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	3.02
6)	8.2	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	2.84
7)	8.3	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	2.52
8)	8.4	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.54
9)	8.5	आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.16
10)	9.1	व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.89
11)	9.2, 9.3 व 9.4	विविध अनियमित व्यय करना	0.15

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत कलरूही, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09.05.2024 से 15.05.2024 तक ग्राम पंचायत कलरूही के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	08/2022
2023-24	07/2023	07/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत कलरूही, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹3200 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 438/2024 दिनांक 15/05/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत कलरूही द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित अम्ब के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 315616

दिनांक 16/05/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत कलरूही द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 420/2024 दिनांक 09/05/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पांच रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, 14वां वित्तायोग Offline, 15वां वित्तायोग (Online), इंदिरा आवास योजना (Offline) व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	2073845	3347738.97	5421583.97	2943113.67	2478470.3
1	2023-24	2478470.3	2189638.66	4668108.96	1975184.66	2692924.3

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कलरूही के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹541413/-** था :-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	2692924.30
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**3233735.30**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	602.00
4)	**योग (2+3)**	**3234337.30**
5)	**अन्तर (4-1)**	**541413.00**

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Amb (Own & GIA)	20009003402	695824.00
2	KCCB Amb (IAY)	20009003810	12338.00
3	HDFC Amb (15th fc)	50100340114932	2520429.30
4	HDFC Amb (14th fc)	50100122250289	5144.00
		योग	**3233735.3**
		हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	602.00
		योग (1+2)	**3234337.30**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹5.41 लाख का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹541413** का अन्तर पाया गया | अतः इस

सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 426/2024 दिनांक 14/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 15/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि 15वें वित्तायोग शीर्ष के बैंक खाते में दिनांक 01.04.2023, 01.07.2023, 01.10.2023 , 17.11.2023, 18.12.2023, 20.12.2023, 01.01.2024 व 31.03.2024 को **₹517757** (11564+14128+15602+151459+250000+40000+16343+18661) ब्याज व अनुदान का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31.03.2024 तक आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया तथा शेष अंतर **₹23656/-** के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2024 को बैंक व हस्तगत शेष का योग**	**अन्तर (4-3)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	672770.00	696426.00	23656.00
3	15वां वित्तायोग	2002672.30	2520429.30	517757.00
			कुल अंतर	**541413**

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 420/2024 दिनांक 09/05/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 15/05/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹26.93 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 420/2024 दिनांक 09/05/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों **में ₹2692924.30** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 420/2024 दिनांक 09/05/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 15/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 420/2024 दिनांक 09/05/2024 द्वारा मांगी गई

सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 15/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.57 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 420/2024 दिनांक 09/05/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 15/05/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर **₹56840 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2022-23	121040	30400	151440	117250	34190
2023-24	34190	30400	64590	7750	56840

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹5000** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	3400
2	2023-24	1600
	योग	**5000**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 432/2024 दिनांक 14/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 15/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी

कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.05 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट ग में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹5000** की कम वसूली की गई थी।

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
1	2022-23	3000
2	2023-24	2000
	योग	**5000**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 431/2024 दिनांक 14/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 15/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके, राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दी जाएगी। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.02 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय

वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नानुसार शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹302214** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 429/2024 दिनांक 14/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 15/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | अत: उक्त अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	**शीर्ष का नाम**	**माह**	**बिल संख्या व दिनांक**	**फर्म का नाम एवं पता**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	मनरेगा	08/22	64 01.3.22	Rajeev Enterprises Kalruhi	रेत, बजरी	43464
2	मनरेगा	07/23	79 24.02.23	RIYANSH INDUSTRIES AMB	STEEL	71773
3	मनरेगा	07/23	88 09.03.23	RIYANSH INDUSTRIES AMB	STEEL	18986
4	मनरेगा	07/23	89 09.03.23	RIYANSH INDUSTRIES AMB	STEEL	7102
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	1249, 1137 14.12.21, 25.11.21	Shakti Steel Com. Mubarikpur	Pipe, Nails etc.	3736
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	201 18.07.22	Sanjay Book Store Amb	Stationery	6725
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	20 24.05.22	Rajeev Enterprises Kalruhi	पानी टैंक, ढुलाई	11808
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	66 11.04.22	Rajeev Enterprises Kalruhi	रेत, बजरी	26431
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/23	358 26.06.23	M/s Shiva Bricks Udyog Katohar Kalan	इंटें	14000

10	15वां वित्तायोग	08/22	520 07/08/22	M/s Shiva Bricks Udyog Katohar Kalan	इंटें	36002
11	15वां वित्तायोग	08/22	527 08/08/22	M/s Shiva Bricks Udyog Katohar Kalan	इंटें	28802
12	14वां वित्तायोग	08/22	22 22/3/22	Rajeev Enterprises Kalruhi	रेत,बजरी , ढुलाई	33385
					योग	**302214**

8.2 ₹2.84 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 08/2022 व 07/2023 में **निम्न विवरणानुसार ₹283623** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 430/2024 दिनांक 14/05/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 15/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	1249, 1137 14.12.21, 25.11.21	Shakti Steel Com. Mubarikpur	Pipe, Nails etc.	3736
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	175 18.12.21	Thakur Enterprises Mubarikpur	PVC Pipes	926
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान	08/22	201 18.07.22	Sanjay Book Store Amb	Stationery	6725

	(समेकित)					
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	04 05.04.22	M/s Guru Ashirwad Amb	Pavers	20378
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	325 22.03.22	M/s Guru Ashirwad Amb	Pavers	27789
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	66 11.04.22	Rajeev Enterprises Kalruhi	रेत, बजरी	26431
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/23	358 26.06.23	M/s Shiva Bricks Udyog Katohar Kalan	इंटें	14000
8	15वां वित्तायोग	08/22	73968 08/08/22	HP Civil Supply Amb	Cement	18323
9	15वां वित्तायोग	08/22	73969 08/08/22	HP Civil Supply Amb	Cement	54968
10	15वां वित्तायोग	08/22	73967 08/08/22	HP Civil Supply Amb	Cement	14658
11	15वां वित्तायोग	08/22	520 07/08/22	M/s Shiva Bricks Udyog Katohar Kalan	इंटें	36002
12	15वां वित्तायोग	08/22	527 08/08/22	M/s Shiva Bricks Udyog Katohar Kalan	इंटें	28802
13	14वां वित्तायोग	08/22	22 22/3/22	Rajeev Enterprises Kalruhi	रेत,बजरी	30885
					योग	**283623**

8.3 ₹2.52 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा

चयनित माह 08/2022 में **निम्न विवरणानुसार ₹251945** की निर्माण सामग्री, पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 434/2024 दिनांक 15/05/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 15/05/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम सं0	मद	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	विवरण	राशि(18 % GST सहित) (₹)
1	सभा निधि व अनुदान (समेकित)	14	08/22	4	2200 टाईल / पेवर @ 9.263/- प्रति पेवर	20378
2	सभा निधि व अनुदान (समेकित)	15	08/22	15	3000 टाईल / पेवर @ 9.263/- प्रति पेवर	27789
3	मनरेगा	शून्य	08/22	345	2500 टाईल / पेवर @ 9.263/- प्रति पेवर	23157
4	मनरेगा	शून्य	08/22	145	2500 टाईल / पेवर @ 9.263/- प्रति पेवर	23157
5	मनरेगा	शून्य	08/22	148	2500 टाईल / पेवर @ 9.263/- प्रति पेवर	23157
6	मनरेगा	शून्य	08/22	150	2500 टाईल / पेवर @ 9.263/- प्रति पेवर	23157
7	मनरेगा	शून्य	08/22	153	2000 टाईल / पेवर @ 9.263/- प्रति पेवर	18526
8	मनरेगा	शून्य	08/22	183	5000 टाईल / पेवर @ 9.263/- प्रति पेवर	46312
9	मनरेगा	शून्य	08/22	188	5000 टाईल / पेवर @ 9.263/- प्रति पेवर	46312
					योग	**251945**

8.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.54 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 07/2023 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार ₹53446** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 435/2024 दिनांक 15/05/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 15/05/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: खनन के वैध स्रोत को सुनिश्चित करते हुए मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए तथा तदानुसार **₹53446** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.5 आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी./टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.16 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक

29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 दौरान आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट ड.** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹808720.65** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹16174.40** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**फर्म / व्यक्ति का नाम**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**	**योग (₹)**	**जी.एस.टी.टी.डी.एस की कटौती योग्य राशि**
1	2022-23	राजीव कुमार गांव चंगोली	रेत, बजरी ढुलाई इत्यादि	556111.4	556111.4	11122.22 (2% x 556111.4)
3	2023-24	राजीव कुमार गांव चंगोली	रेत, बजरी ढुलाई इत्यादि	252609.25	252609.25	5052.18 (2% x 252609.25)
				योग	**808720.65**	**16174.40**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 436/2024 दिनांक 15/05/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 15/05/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹16174** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से

करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 ₹1.89 लाख के व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 08/2022 व 07/2023 में **निम्नानुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹189453** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 433/2024 दिनांक 15/05/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 15/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	खाता निर्माण रास्ता अलोंग विथ रिटेनिंग वाल SC आवादी पुष्प दीप अशोक कुमार	1249 dtd.14.12.21, 1137 dtd. 25.11.21, 175 dtd. 18.12.21	PVC Pipes	4662
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	अपवर्धन शमशान घाट कलरूही वार्ड नंबर 2	04 DTD. 05.04.22, 325 DTD. 22.03.22, 20 DTD. 24.05.22, 66 DTD. 11.04.22	Pavers, Carriage , sand, dust etc	86406
3	15th FC	08/22	अपवर्धन शमशान घाट कलरूही वार्ड नंबर 2	65 dtd. 31.03.22, 22 dtd. 22.03.22, 22781 (24.03.22 to 30.03.22), 22784	रेत, बजरी व मजदूरी इत्यादि	98385

				(01.04.22 to 30.04.22), 22785 (01.05.22 to 22.05.22)		
					योग	**189453**

9.2 मनरेगा शीर्ष से ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 08/2022 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न रास्तों के निर्माण कार्यों हेतू प्रयोग की गई निर्माण सामग्री, बजरी के क्रय हेतु व्यय निविदायें आमंत्रित करके किया गया था, जिसमें फर्म राजीव इंटरप्राइजेज कलरूही से बजरी 40MM हेतु **₹**500 प्रति घन मीटर (जी.एस.टी. सहित) की दर से न्यूनतम दर की निविदा प्राप्त हुई थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त फर्म को **₹577.50** प्रति घन मीटर (जी.एस.टी. सहित) की दर से अर्थात् **₹77.50** प्रति घन मीटर की दर से अधिक भुगतान किया गया | इस प्रकार उक्त फर्म को **निम्न विवरनानुसार** ₹**8118.11** का अधिक भुगतान किया गया था |

क्रम संख्या	**बिल संख्या**	**माह**	**मात्रा (घन मीटर)**	**भुगतान योग्य दर (₹) प्रति घन मीटर**	**भुगतान की गई दर (₹)**	**अन्तर (₹)**	**अधिक भुगतान की गई राशि (₹)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 (4×7)**
1	102	07/23	56.64	500	577.50	77.50	4389.60
2	76	07/23	7.075	500	577.50	77.50	548.31
3	77	07/23	7.075	500	577.50	77.50	548.31
4	127	07/23	8.49	500	577.50	77.50	657.97
5	124	07/23	25.47	500	577.50	77.50	1973.92
						योग	**8118.11**

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 428/2024 दिनांक 14/05/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 15/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की

गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके मनरेगा मद के खाता संख्या 4193000100031015 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः कृत कार्यवाही उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

9.3 स्व: स्त्रोत शीर्ष से ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 के माह 06/2022 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत निधि से वाउचर संख्या 8 व 9 द्वारा विज्ञापन पर **₹9132** का भुगतान किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में **वर्णित Appendix-"A"** के क्रम संख्या 13 अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹5000** तक का भुगतान ही एक वित्तीय वर्ष में विज्ञापन पर किया जा सकता है अर्थात ग्राम पंचायत द्वारा ₹4132 (9132-5000) का अधिक भुगतान विज्ञापन पर गया | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 439/2024 दिनांक 15/05/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 15/05/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके निधि लेखे में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः कृत कार्यवाही उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

9.4 स्व: स्त्रोत शीर्ष से ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 दौरान पंचायत की स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष रोकड़ बही के अवलोकन के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव, श्री हुसन चन्द द्वारा निम्नानुसार ₹2880 का व्यय अपने स्वयं के मोबाइल के रिचार्ज पर किया गया था। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 437/2024 दिनांक 15/05/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 15/05/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 235400 दिनांक 15.05.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पास बुक से कर ली गई है |

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	माह	राशि (₹)
1	18	08/22	720
2	47	12/22	720

3	72	02/23	720
4	21	07/23	720
		योग	**2880**

9.5 अग्रिम राशि ₹0.35 लाख समायोजन हेतू शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 420/2024 दिनांक 09/05/2024 के क्रम संख्या 10 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 15/05/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन को सीमेंट के क्रय हेतू निम्नानुसार **₹36454** का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.24 तक उक्त राशि में से **₹1822** का समायोजन ही हुआ | अत: हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन अम्ब से उक्त राशि में से असमायोजित शेष राशि ₹**34632** को समायोजित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

क्रमांक	**शीर्ष का नाम**	**बिल संख्या व दिंनाक**	**फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया**	**सामान का विवरण**	**अग्रिम राशि (₹)**	**दिनांक 31/03/24 तक समायोजित राशि (₹)**	**दिनांक 31/03/24 तक समायोजन हेतु शेष राशि (₹)**
1	स्व: स्लोत व अनुदान (समेकित)	72215 24.07.23	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	36454	1822	34632

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 421/2024 दिनांक 09.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 04 दिनांक 15/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का

रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 420/2024 दिनांक 09/05/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 15/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

24 AUG 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति0

4241–4245

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)102/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कलरूही, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

24 AUG 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति0

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत कलरुही, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2073845	3347738.97	5421583.97	2943113.67	2478470.3
2	2023-24	2478470.3	2189638.66	4668108.96	1975184.66	2692924.3

ग्राम पंचायत कलरुही, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	603791	1278397	1882188	1134503	747685
2	2023-24	747685	673104	1420789	748019	672770

14वां वित्तायोग की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	191885	2333	194218	189262	4956
2	2023-24	4956	188	5144	0	5144

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1266527	1309769	2576296	862358.7	1713937.3
2	2023-24	1713937.3	550000	2263937.3	261265	2002672.3

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	756989.97	756989.97	756989.97	0
2	2023-24	0	965900.66	965900.66	965900.66	0

इंदिरा आवास योजना Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	11642	250	11892	0	11892
2	2023-24	11892	446	12338	0	12338

Rai

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	2692924.30
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**3233735.30**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	602.00
4)	**योग (2+3)**	**3234337.30**
5)	**अन्तर (4-1)**	**541413.00**

परिशिष्ट क-I

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB Amb (Own & GIA)	20009003402	695824.00
	KCCB Amb (IAY)	20009003810	12338.00
	HDFC Amb (15th fc)	50100340114932	2520429.30
	HDFC Amb (14th fc)	50100122250289	5144.00
		योग	**3233735.3**
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)**	602.00
		योग (1+2)	**3234337.30**

R~

परिशिष्ट ख

पैरा संख्या 7.1 क में संदर्भित

ग्राम पंचायत कलरूही, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	121040	30400	151440	117250	34190
2023-24	34190	30400	64590	7750	56840

परिशिष्ट ग पैरा संख्या 7.2 व 7.3 में सन्दर्भित

क्र०सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद स०	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु राशि
01	प्रणव हलदार	15/04/2022	16/04/2022		200	0	200
02	संजीव कुमार	19/04/2022	04/05/2022	235354	200	200	0
03	सोहन सिंह	05/03/2019	09/05/2022	235355	400	400	0
04	अरुण कुमार	11/05/2022	28/05/2022	235356	200	200	0
05	रोहित कुमार	11/05/2022	01/06/2022	235357	200	200	0
06	दीपक सिंह	20/05/2022	09/06/2022	235361	200	200	0
07	सुशांत सागर	06/06/2022	20/06/2022		200	0	200
08	रोहित जसवाल	20/06/2022	13/07/2022		200	0	200
09	शुभम	04/07/2022	26/07/2022	235363	200	200	0
10	पंकज	06/07/2022	27/07/2022	235365	200	200	0
11	सचिव शर्मा	23/07/2022	18/08/2022		200	0	200
12	अश्वनी शीमा	31/07/2022	18/08/2022	235366	200	200	0
13	नरेन्द्र कुमार	27/09/2022	11/10/2022	235372	200	200	0
14	रविन्द्र कुमार	21/12/2022	28/12/2022	235381	200	200	0
15	अमित ठाकुर	04/12/2022	21/12/2022	235386	200	200	0
16	विशाल कुमार	02/12/2022	21/12/2022		200	0	200
17	विपन कुमार	04/12/2022	26/12/2022	235387	200	200	0
18	शशि पाल	09/12/2022	29/12/2022	235388	200	200	0
19	राजेश कुमार	02/12/2022	29/12/2022	235389	200	200	0
20	अंशुल शर्मा	07/12/2022	29/12/2022		200	0	200
21	तुषार शर्मा	08/12/2022	07/01/2023	235390	200	200	0
22	रमन चंदेल	30/01/2023	16/02/2023	235391	200	200	0
23	हरजिंदर सिंह	27/01/2023	16/02/2023		200	0	200
24	संचित	31/01/2023	21/02/2023		200	0	200
25	अविनाश कुमार	16/02/2023	21/02/2023		200	0	200
26	विशाल सिंह	04/02/2023	28/02/2023		200	0	200
27	अश्वनी कुमार	06/02/2018	14/03/2023		400	0	400
28	राहुल कुमार	05/03/2023	25/03/2023		200	0	200
29	रोहित कुमार	22/02/2023	25/03/2023		400	0	400
30	अरविन्द सिंह	28/03/2023	17/04/2023		200	0	200
31	अंकित शर्मा	08/07/2022	23/06/2023		400	0	400
32	अजय कुमार	09/07/2023	23/07/2023		200	0	200
33	सुनील कुमार	14/08/2023	16/09/2023	235394	400	200	200
34	रविन्द्र कुमार	28/02/2009	11/10/2023		400	0	400
35	मुकेश कुमार	2210/2023	26/10/2023	235395	200	200	0
36	दीपांकर	19/10/2023	06/11/2023	235396	200	200	0
37	क्षितिज जस्सल	10/11/2023	30/11/2023		200	0	200
38	हर्षित ठाकुर	26/09/2023	16/12/2023	245101	400	200	200
39	रोहित कुमार	22/11/2023	20/12/2023	245102	200	200	0
40	सतीश कुमार	08/12/2023	20/12/2023	245103	200	200	0

41	शुभम	29/11/2023	26/12/2023	245104	200	200	0
42	संदीप कुमार	22/11/2023	26/12/2023	245105	400	200	200
	TOTAL				10000=00	5000=00	5000=00

परिशिष्ट ध   पैरा संख्या 8.5 में संदर्भित

ग्राम पंचायत कलरूही, विकास खंड अम्ब जिला ऊना

क्रम संख्या	मद का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनों में)	दर (प्रति टन)	देय रॉयलटी
1	SF + 14th FC	अपवर्धन शमशान घाट कलरुही वार्ड न० 02	66	11-04-2022	Rajiv Enterprises	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Sand	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
						Agg.	11.32	1.52	17.2064	80	1376.512
						Agg.	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
2	SF + 14th FC	अपवर्धन शमशान घाट कलरुही वार्ड न० 02	65	31-03-2022	Rajiv Enterprises	Sand	11.29	1.62	18.2898	80	1463.184
						Sand	11.29	1.62	18.2898	80	1463.184
						Agg.	14.15	1.52	21.508	80	1720.64
						Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
3	MNREGA	निर्माण रास्ता राम प्रकाश घर से सराय वार्ड न० 03	64	01-03-2022	Rajiv Enterprises	Sand	16.98	1.62	27.5076	80	2200.608
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	31.13	1.52	47.3176	80	3785.408
						Agg.	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
4	MNREGA	निर्माण Playground GSSS कलरुही	69	18-06-2022	Rajiv Enterprises	Agg.	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
5	MNREGA	निर्माण Playground GSSS कलरुही	70	18-06-2022	Rajiv Enterprises	Sand	7.75	1.62	12.555	80	1004.4
6	MNREGA	निर्माण Playground GSSS कलरुही	102	26-10-2022	Rajiv Enterprises	Agg.	56.6	1.52	86.032	80	6882.56
7	MNREGA	निर्माण Playground GSSS कलरुही	1	26-10-2022	Rajiv Enterprises	Agg.	19.81	1.52	30.1112	80	2408.896
8	MNREGA	निर्माण Playground GSSS कलरुही	76	12-08-2022	Rajiv Enterprises	Sand	7.025	1.62	11.3805	80	910.44
						Agg.	7.075	1.52	10.754	80	860.32
						Agg.	7.075	1.52	10.754	80	860.32

सचिव ग्राम पंचायत कलरूही विकास खंड अम्ब जिला ऊ

9	MNREGA	निर्माण Playground GSSS कलरुही	77	21-08-2022	Rajiv Enterprises	Agg.	7.075	1.52	10.754	80	860.32
						Agg.	7.075	1.52	10.754	80	860.32
						Sand	7.075	1.62	11.4615	80	916.92
10	15th FC+MNREGA	निर्माण रास्ता सतनाम के घर से सराय तक	123	20-03-2023	Rajiv Enterprises	Sand	25.47	1.62	41.2614	80	3300.912
11	15th FC+MNREGA	निर्माण रास्ता सतनाम के घर से सराय तक	124	20-03-2023	Rajiv Enterprises	Agg.	25.47	1.52	38.7144	80	3097.152
12	15th FC+MNREGA	निर्माण रास्ता सतनाम के घर से सराय तक	125	20-03-2023	Rajiv Enterprises	Agg.	22.64	1.52	34.4128	80	2753.024
								योग	534.4552	80	42756.416
										25 % पेनल्टी	10689.104
										कुल योग	53445.52

परिशिष्ट ङ पैरा संख्या ४.५ में सन्दर्भित

बित्तीय वर्ष 2022-23 में राजीव कुमार गांब चंगोली को किये गए भुगतान का विवरण

Sr No.	Name of Head	Bill No	Bill Date	Amount Without GST
1	MNREGA	23	18-06-2022	480
2	MNREGA	25	18-06-2022	7500
3	MNREGA	29	18-06-2022	1200
4	MNREGA	69	18-06-2022	1570.65
5	MNREGA	70	18-06-2022	5903.45
6	MNREGA	28	02-04-2022	47774.89
7	MNREGA	64	07-04-2022	41394.41
8	MNREGA	35	16-07-2021	12528
9	MNREGA	47	25-02-2022	52974
10	Own&GIA2022-23	41	02-01-2022	50612
11	Own&GIA2022-23	7	13-02-2022	48029
12	Own&GIA2022-23	8	13-02-2022	14100
13	Own&GIA2022-23	20	24-05-2022	11808
14	Own&GIA2022-23	66	11-04-2022	25172
15	Own&GIA2022-23	50	10-09-2022	8901
16	Own&GIA2022-23	51`	10-09-2022	1266
17	Own&GIA2022-23	53	10-09-2022	1792
18	Own&GIA2022-23	84	10-09-2022	1500
19	Own&GIA2022-23	90	10-09-2022	11611
20	Own&GIA2022-23	118	02-01-2023	9424
21	Own&GIA2022-23	97	07-01-2023	1920
22	Own&GIA2022-23	117	02-01-2023	7782
23	Own&GIA2022-23	96	02-01-2023	2400
24	Own&GIA2022-23	115	03-01-2023	4726
25	Own&GIA2022-23	94	03-01-2023	960
26	Own&GIA2022-23	116	03-01-2023	1570
27	Own&GIA2022-23	95	03-01-2023	480
28	Own&GIA2022-23	93	03-01-2023	4700
29	14FC-2022-23	65	31-03-2022	29450
30	14FC-2022-23	22	22-03-2022	2500
31	15 FC -2022-23	11	20-02-2022	2426
32	15 FC -2022-23	54	09-03-2022	900
33	15 FC -2022-23	19	20-02-2022	6217
34	15 FC -2022-23	21	20-02-2022	12387
35	15 FC -2022-23	67	03-05-2022	23564
36	15 FC -2022-23	68	05-05-2022	3414
37	15 FC -2022-23	99	24-10-2022	15565
38	15 FC -2022-23	63	24-10-2022	4800
39	15 FC -2022-23	97	24-10-2022	23630
40	15 FC -2022-23	61	24-10-2022	4800
41	15 FC -2022-23	64	24-10-2022	3250
42	15 FC -2022-23	34	28-08-2022	448
43	15 FC -2022-23	35	28-08-2022	1300
44	15 FC -2022-23	36	29-08-2022	1300
45	15 FC -2022-23	78	20-08-2022	1570

46	15 FC -2022-23	32	20-08-2022	480
47	15 FC -2022-23	79	21-08-2022	4726
48	15 FC -2022-23	33	21-08-2022	960
49	15 FC -2022-23	607	28-02-2023	4000
50	15 FC -2022-23	87	02-12-2022	3584
51	15 FC -2022-23	114	03-12-2022	2363
52	15 FC -2022-23	92	03-12-2022	480
53	15 FC -2022-23	98	24-10-2022	7853
54	15 FC -2022-23	62	26-10-2022	2400
55	15 FC -2022-23	111	02-12-2022	3926
56	15 FC -2022-23	89	02-12-2022	1440
57	15 FC -2022-23	603	02-12-2022	3000
58	15 FC -2022-23	609	28-02-2023	2000
59	15 FC -2022-23	608	28-02-2023	1300
			Total	556111.4

बित्तीय वर्ष 2023-24 में राजीव कुमार गांब चंगोली को किये गए भुगतान का विवरण

Sr No.	Name of Head	Bill No	Bill Date	Amount Without GST
1	MNREGA	101	26-10-2022	10989
2	MNREGA	102	26-10-2022	31130
3	MNREGA	31	29-07-2022	1200
4	MNREGA	69	26-10-2022	3360
5	MNREGA	70	26-10-2022	9600
6	MNREGA	74	29-07-2022	5905.86
7	MNREGA	75	29-07-2022	3888.5
8	MNREGA	76	12-08-2022	13718.46
9	MNREGA	77	21-08-2022	12829.9
10	MNREGA	126	28-03-2023	4711.95
11	MNREGA	127	28-03-2023	4669.5
12	MNREGA	128	28-03-2023	9348
13	MNREGA	617	28-03-2023	1920
14	MNREGA	618	28-03-2023	1440
15	MNREGA	619	28-03-2023	1440
16	MNREGA	621	28-03-2023	498
17	MNREGA	103	02-10-2022	2431
18	MNREGA	104	02-10-2022	5782
19	MNREGA	58	02-10-2022	2400
20	MNREGA	59	02-10-2022	1498.2
21	MNREGA	71	02-10-2022	445.5
22	MNREGA	73	02-10-2022	2400
23	MNREGA	74	02-10-2022	960
24	MNREGA	75	02-10-2022	4760
25	MNREGA	94	02-10-2022	23622.58
26	MNREGA	96	02-10-2022	6352.5
27	MNREGA	123	20-03-2023	21262.5
28	MNREGA	124	20-03-2023	14000.8
29	MNREGA	125	20-03-2023	12559
30	MNREGA	612	20-03-2023	3840
31	Own&GIA2023-24	661	23-08-2023	12000
32	Own&GIA2023-24	663	10-09-2023	2147
33	15 FC -2023-24	604	27-01-2023	1500
34	15 FC -2023-24	119	07-01-2023	6282
35	15 FC -2023-24	99	07-01-2023	1920
36	15 FC -2023-24	121	07-01-2023	788
37	15 FC -2023-24	601	07-01-2023	480
38	15 FC -2023-24	120	07-01-2023	7089
39	15 FC -2023-24	100	07-01-2023	1440
			Total	252609.25